<u>आवश्यक/वीडियो कांफ्रेंसिंग/समयबद्ध</u>

<u>संख्या: 27/2018/1970/12-2-2018-60(82)/2018</u>

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1.अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2.प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
3.सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5.मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय,गोमती नगर, लखनऊ
6.प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।
7.प्रबंध निदेशक, नैफेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8.संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, गोमती नगर, लखनऊ
9.कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10.समस्त जनपदीय प्रबंधक, लीड बैंक, उत्तर प्रदेश।
11.समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2018

विषय प्रदेश के सभी अवशेष पात्र किसानों को **रुपे किसान कार्ड/ किसान क्रेडिट कार्ड** उपलब्ध कराने तथा जनपदों में **दलहन एवं तिलहन क्रय** किये जाने की प्रगति की समीक्षा।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अवशेष कृषकों को क्रिसान क्रेडिट कार्ड/रूपे किसान कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या: 1802/12-2-2018-60(82)/2018 दिनांक 30 मई, 2018 समस्त जिलाधिकारियों एवं अन्य को निर्गत करते हुए दिनांक 01 जून, 2018 से अभियान चला कर समय सारिणी के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे।

2. प्रश्नगत मामले में दिनांक 12 जून, 2018 को आयोजित समीक्षा बैठक में पाया गया कि मामले में प्रगति सन्तोषजनक नहीं है और जनपदों के जिलाधिकारियों तथा लीड बैंकों द्वारा पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है। अत: प्रदेश के सभी अवशेष पात्र किसानों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूपे किसान कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने तथा जनपदों में **दलहन एवं तिलहन क्रय** किये जाने की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक 18 जून, 2018 को 11:30 बजे से अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों की **वीडियो कांफ्रेंसिंग** के माध्यम से समीक्षा की जायेगी।

2. अत: उक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्धारित समय पर अपने जनपद से संबंधित अवशेष पात्र किसानों को रूपे किसान कार्ड/ किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने तथा जनपदों में **दलहन एवं तिलहन क्रय** किये जाने की प्रगति की अद्यतन सूचना सहित उपस्थित रहने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 27/2018/1970(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।